न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज0)

(बईजिलास सुरेश कुमार ओला I.A.S.)

प्रकरण संख्या 08 / 2020 | दायर दिनांक 01.07.2020
फैसल दिनांक 04.08.2021

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री बाबु पुत्र उस्मान घांटी मोहल्ला, वार्ड सं. 9 उचित मूल्य दुकानदार नगरपरिषद डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थिति
1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मणसिंह सिसोदिया एडवोकेट – विपक्षी

निर्णय

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी ने अपनी उचित मूल्य की दूकान वार्ड नम्बर 09 नगर परिषद डूंगरपुर के स्टॉक से कम मात्रा में 15 क्वि0 (30 कट्टे) एवं 10 किग्रा0 चीनी खाद्य सुरक्षा का गेहूं का दुरूपयोग से पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 15 क्वि0 गेहूं विपक्षी से वसूल किया जाकर जप्त सरकार किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि श्री विपीन जैन प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर ने पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर को रिपोर्ट पेश कर श्री पुष्पेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक वगैरा के साथ विपक्षी की उचित मूल्य दूकान वार्ड नम्बर 9 नगर परिषद डूंगरपुर का आकस्मिक निरीक्षण मोतबीरान से रूबरू किया गया। वक्त निरीक्षण विपक्षी उपस्थित मिला। उचित मूल्य की दूकान पर स्टॉक प्रदर्शन, कार्यालयों के मोबाईल नम्बर दर्शित नहीं पाये गये। वक्त जांच स्टॉक व वितरण रजिस्टर मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही सेन्टर पर पाये गये। विपक्षी द्वारा राशन कोर्डो की ई सूची वास्ते वितरण चाही जाने पर पेश नहीं की। वक्त निरीक्षण विपक्षी द्वारा पोश मशीन का आन लाईन स्टॉक दिखाया गया जिसके अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का 60.89 किग्रा, बी.पी.एल स्टेट अन्त्योदय योजना 103 किग्रा गेहूं एवं 10 किग्रा लेवी चीनी का स्टॉक दिनांक 11.04.2020 को दर्ज पाया। विपक्षी डीलर माह अप्रेल 2020 का अतिरिक्त आवंटन का गेहूं 12 क्यू. एच. एस. 94 किलोग्राम राजस संघ योग विक्रेता डूंगरपुर से भेजना बतलाया गया। उचित मूल्य दूकान के निरीक्षण के समय गेहूं के कट्टे सही ढंग से मजदूरों से रखवाने पर सत्यापन किया गया। विपक्षी को अचित मूल्य की दूकान में 141 कट्टों में 7092.3 किग्रा गेहूं व दो कट्टों में 60 किग्रा चीनी पाई गई। उक्त दूकान पर पोश मशीन एवं थोक विक्रेता राजस संघ डूंगरपुर द्वारा अप्रेल 2020 का भेजा गया गेहूं 6089 किग्रा, 130 किग्रा., 62.92 क्यू. एच. एस. कुल124.86 क्वि0 गेहूं एवं 70 किग्रा. लेवी चीनी की तुलना में 53.93 क्वि. गेहूं एवं 10 किग्रा लेवी चीनी स्टॉक कम पायी गयी। इसके [illegible] के राशनकार्ड अवैद्य रूप से उचित मूल्य की दूकान पर पाये गये जिसमें से 10 राश[illegible] पुछताछ पर विपक्षी डीलर द्वारा गेहूं नहीं दिया जाना बताया है। उक्त 10 राशनधारकों को [illegible] मशीन की वितरण रिपोर्ट अनुसार कुल 265 किग्रा0 गेहूं मार्च 2020 व अप्रेल 2020 में वितरण करना पाया ग[illegible]न्तु उक्त 10 राशनधारियों को गेहूं का वितरण नहीं किया गया। पो[illegible] मशीन में दर्ज एवं थो[illegible] उपभोक्ता राजस संघ डूंगरपुर द्वारा माह अप्रेल में भेजे गये गेहूं एवं चीनी की तुलना में 53.93 किग्रा. गेहूं एवं 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 15:26:03 IST
Reason: SelfAttested

किग्रा. लेवी चीनी कम पाया जाना विपक्षी डीलर द्वारा पात्र राशनधारियों को राशन खाद्यान्न का वितरण बता कर भौतिक रूप से वितरण नहीं करने, गेहूं का दुरूपयोग करने की मानसिकता से कालाबाजारी करने के कृत्य को दर्शाता है। जिससे पुलिस थाना कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण संख्या 105/2020 दर्ज कराया गया है। पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर द्वारा अनुसंधान में विपक्षी डीलर श्री बाबू उस्मान से 53 क्वि0 गेहूं के मुकाबले 15 क्वि0 गेहूं जप्त किया गया। श्री इसरार कुरैशी उचित मूल्य दूकान वार्ड नम्बर 8 को जप्त शुदा 15 क्वि0 गेहूं सुपुर्द किया गया जिसे राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली किया गया।

प्रकरण में विभागीय पेरोकार एवं वकील विपक्षी की बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा वकील विपक्षी ने जबाब के तथ्यों को दोहराया।

विभागीय पेरोकार ने पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी उचित मूल्य दूकान वार्ड नम्बर 9 नगर परिषद डूंगरपुर का अधिकृत डीलर है। विपक्षी की दिनांक 11.04.2021 को जांच करने पर 141 कट्टों में 7092.3 किग्रां0 गेहूं एवं दो कट्टों में 60 किग्रा चीनी पायी गई। पोश मशीन एवं थोक विक्रेता राजस संघ डूंगरपुर द्वारा माह अप्रेल 2020 का गेहूं 6089 किग्रां0, 130 किग्रां0, 62.94 क्यु. एच. एस. कुल 124.86 क्विं0 एवं लेवी चीनी 70 किग्रा0 की तुलना में 53.93 क्विं0 गेहूं एवं 10 किग्रा चीनी स्टॉक के मुकाबले कम पाये गये। विभागीय पेरोकार ने यह भी बताया कि विपक्षी के सेन्टर पर 12 राशनकार्ड अवैध रूप से पाये गये जिनमें से 10 राशनधारियों से पुछताछ करने पर उन्हें गेहूं नही मिलना बताया गया। पोश मशीन की आन लाईन वितरण अनुसार उक्त राशनधारियों को माह मार्च 2020 व अप्रेल 2020 में 265 किग्रा0 गेहूं का वितरण किया जाना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा पात्र राशनधारियों को गेहूं का वितरण नही करने का फर्जीवाडझ किया है। प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर के द्वारा मोतबीरान के रूबरू उक्त उचित मूल्य की दूकान का निरीक्षण पर 53.93 क्विं0 गेहूं एवं 10 किग्रा चीनी कम पायी जाने पर पुलिस थाना कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण संख्या 05/2020 दर्ज कराया पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अनुसंधान के दौरान विपक्षी डीलर से 15 क्विं0 गेहूं बरामद किया गया। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि विपक्षी द्वारा गेहूं वितरण में फर्जीवाडा कर गेहूं का दुरूपयोग करना, फर्जी राशन वितरण कर गेहूं पात्र राशनधारियों को नहीं देकर कालाबाजारी करने के उद्देश्य को दर्शाता है। विपक्षी डीलर का उक्त कृत्य जारी प्राध्किार पत्र राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन नियम 1976 एवं पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा 15 क्विं0 गेहूं राजसात करने का अनुरोध विभागीय पेरोकार द्वारा किया गया।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि विपक्षी नगर परिषद डूंगरपुर के वार्ड नं. 9 की उचित मूल्य दूकान का अधिकृत डीलर है, दिनांक 11.04.2020 को प्रार्थी द्वारा जांच की गई उस समय उचित मूल्य दूकान पर नहीं था। विपक्षी द्वारा कन्ट्रोल का रेकार्ड संधारित करने घर पर ले जाना बताया। जांच के बाद में तुरन्त रेकार्ड पेश कर दिया जाना बताया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने ... स्टॉक के आधार एवं तत्पश्चात माह अप्रेल 2020 का प्राप्त गेहूं को मिलाकर गेहूं व चीनी की उपलब्धता में कमी नहीं है। पोश मशीन में पूर्व की स्टॉक को आगे दर्शाने के कारण ... खाद्यान्न के स्टॉक में अन्तर चलता रहता है, बताया गया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि खाद्यान्न का उठाव कम किया जाता है। जांच के दौरान जांच दल द्वारा विपक्षी को सुना नहीं गया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 16:26:03 IST
Reason: SelfAttested

यह भी बताया कि वार्ड में राशनकार्डधारियों से पुछताछ विपक्षी के रूबरू नहीं की गई तथा वार्ड के राशनधारियों के बयान भी कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा दिये गये थे। विपक्षी अल्पसंख्यक फकीर परिवार का है। बिना किसी ठोस शिकायत के विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिसके कारण विपक्षी का रोजगार नही रहने से परिवार मुश्किल हालात में है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि विपक्षी के विरूद्ध राशन के खाद्यान्न वितरण में राशनधारियों की कोई शिकायत नहीं है। विपक्षी अल्पसंख्यक फकीर परिवार का होने एवं उनके द्वारा उक्त स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं करने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज कर दोष मुक्त करने विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने अनुरोध किया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी नगर परिषद क्षेत्र डूंगरपुर के वार्ड नं. 9 की उचित मूल्य दूकान का अधिकृत डीलर है। जांच दल द्वारा दिनांक 11.04.2021 को उक्त उचित मूल्य की दूकान का निरीक्षण करने पर राशन खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करने पर 141 कट्टों में 7092.3 किग्रा0 गेहूं व दो कट्टों में 60 किग्रा0 चीनी तथा पोश मशीन एवं थोक विक्रेता राजस संघ डूंगरपुर द्वारा अप्रेल 2020 का भेजा गया गेहूं 6089 किग्रा0 , 62.94 क्यू.एच.एस कुल 124.86 क्विं0 गेहूं एवं एवं 70 किग्रा0 लेवी चीनी के मुकाबले 124.86 क्विं0 गेहूं एवं 10 किग्रा0 चीनी मौके पर कम पाई गई। विपक्षी द्वारा पोश मशीन में दर्ज के मुकाबले 124.86 गेहूं व 10 किग्रा0 चीनी कम पायी जाने बाबत कोई प्रमाणिक दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जांच दल को विपक्षी की उचित मूल्य की दूकान पर 12 राशन कार्ड प्राप्त हुए जिनमें से 10 राशनधाररियों के पोश मशीन की आनलाईन खाद्यान्न वितरण रिपोर्ट में 265 किग्रा0 गेहूं माह मार्च 2020 व अप्रेल 2020 में वितरण किया जाना प्रमाणित है तथा पुछताछ में इन राशनधाकार्डरियों के बयान में विपक्षी डीलर द्वारा गेहूं नही दिया जाने की पुष्टि करता है। विपक्षी द्वारा पुछताछ में राशनधारियों के लिये गये बयानों पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने का प्रतिरक्षण हेतु कोई प्रमाणिक साक्ष्य/सबूत पेश नही करने से विपक्षी के कथन केवल काल्पनिक होने से प्रमाणित नहीं होता है। विपक्षी का स्टॉक से 124.86 क्विं0 गेहूं एवं 10 किग्रा चीनी कम पाई जाना तथा अवैद्य रूप से राशन दूकान पर राशन कार्ड रखना राशन खाद्यान्न की हेराफेरी करना तथा राशन खाद्यान्न की कालाबाजारी की मंशा को प्रकट करता है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन ओदश 1976 एवं पी.डी.एस कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आने से पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रकरण संख्या 105/2020 में अनुसंधान के दौरान विपक्षी से 15 क्विं0 वसूल किये गये गहूं को उक्त अधिनियम की धारा 6 ए के तहत प्रकरण प्रार्थी का स्वीकार कर राजसात करना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा गेहूं 15 क्विं. राजसात करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को आदेश दिये जाते है कि सुपुर्दकर्ता से 15 क्विं. गेहूं प्राप्त कर नजदीकी उचित मूल्य की दूकानदार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर पर वितरण करा प्राप्त राशि को अन्य सक्षम न्यायालय के निर्णत अपने कार्यालय में अमानत के तौर पर जमा रखे जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को भिजवा कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 15:26:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर